राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(23) ग्रावि/नरेगा/मेट/2015 जयपुर, दिनांक 10-5-2018

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– श्रमिकों को ग्रुपवार अलग –अलग दरों से (Differential Rate) भुगतान करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्र कमांक एफ 1(2)ग्रावि/मा.द./2010–11 दिनांक 20.07.2010 एवं पत्रांक एफ 1(23)ग्रावि/नरेगा/मेट/2015 दिनांक 20.04.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा ग्रुपवार मूल्यांकन करने एवं तद्नुसार ही अलग–अलग ग्रुप के टास्क के अनुसार अलग–अलग दरों से भुगतान करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे।

राज्य सरकार की जानकारी में आया है कि उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना नहीं हो रही है, जो कि खेदजनक है।

इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किये जाने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि :–

1. रोजगार मांगने वाले आवेदकों से 5–5 व्यक्तियों के समूह में फार्म संख्या 6 प्राप्त कर, समूहवार श्रमिकों की सूची का इन्द्राज कर ही ई–मस्टररोल जारी की जावे।
2. मेट द्वारा प्रतिदिन कार्य समाप्ति पर समूहवार कार्य की माप कर मस्टररोल के पृष्ठ भाग पर माप का इन्द्राज किया जावे। समूह के कार्य में किसी दिन निर्धारित टास्क अनुसार रही कमी को दूसरे दिन मेट द्वारा उसी श्रमिक समूह से पूरा करवाने का प्रयास किया जावे।
3. समूहवार प्रतिदिन किये गये कार्य की माप के आधार पर मेट द्वारा मस्टररोल में प्रतिदिन कार्य की माप का अंकन करवाया जावे एवं पखवाडा समाप्ति उपरान्त मेट मस्टररोल पर ही समूहवार किये गये कार्य के आधार पर समूह की कुल राशि एवं समूह के प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन देय राशि का मूल्यांकन अंकित करेगा।
4. कार्यरत श्रमिकों को उनके द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य के बारे में जानकारी संलग्न श्रमिक कार्ड (श्रमिकों के समूह की दैनिक मजदूरी का गणना प्रपत्र)में मेट द्वारा अंकित कर दी जावे।
5. कार्यो पर प्रशिक्षित मेटों का ही नियोजन किया जावे। इस हेतु समय–2 पर मेटों को कार्य की समूहवार माप एवं गणना इत्यादि के बारे में प्रशिक्षित किया जावे। यदि प्रशिक्षित मेट द्वारा प्रतिदिन बिन्दु संख्या 3 व 4 के अनुसार कार्यवाही

Scanned by CamScanner

सम्पादित नही की जाती है तो ऐसे मेटों को हटा दिया जावे एवं भविष्य में मेट हेतु नियोजित नही किया जावे।

6. **कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा पखवाडा समाप्ति उपरान्त कार्यस्थल पर कार्यरत समस्त श्रमिक समूहों की इकजाई माप कर समस्त कार्य की कुल राशि का आंकलन किया जावे एवं मेट द्वारा पखवाडे में करवाये गये समस्त कार्य की कुल राशि की तुलना में (विभाग द्वारा दी गयी शक्तियों के अनुसार मूल्यांकन प्रमाणित किये जाने पर) अनुपात निर्धारित करते हुए प्रतिशत गुणांक निकालकर मस्टररोल में अंकन किया जावे। तद्नुसार इस प्रतिशत गुणांक के आधार पर समूहवार कार्यरत श्रमिकों की भुगतान सूची तैयार की जावे।**

7. प्रत्येक पखवाडा समाप्ति उपरान्त प्रत्येक तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता संलग्न प्रपत्र (Form GM - Group Measurement) में स्वयं के कार्य क्षेत्र के समस्त प्रगतिरत कार्यों पर कार्यवार कार्यरत कुल समूहों में से ऐसे समूहों की संख्या अंकित करेंगे, जिनकी प्रति श्रमिक प्रति दिवस मजदूरी समान आई है। साथ ही असमान समूह में से प्रति श्रमिक प्रति दिवस अर्जित अधिकतम एवं न्यूनतम मजदूरी का अंकन भी करेगें।

8. इस सूचना के आधार पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समीक्षा कर, समूहवार माप को सुनिश्चित किया जावे एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर को प्रत्येक माह की 3 व 16 तारीख को संलग्न प्रपत्र (Form MC -Measurement Certificate) में समूहवार माप व भुगतान व्यवस्था के संबंध में अवगत करवाएगा।

उक्त समूहवार श्रमिकों के नियोजन एवं माप व भुगतान की व्यवस्था को संपूर्ण जिले में कडाई से लागू करें।

भवदीय,

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(पी.सी.किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner

परिशिष्ठ–1

पांच श्रमिकों के समूह की दैनिक मजदूरी का गणना प्रपत्र

(यह प्रपत्र प्रत्येक श्रमिक समूह के प्रतिनिधि के पास रहेगा)

ग्राम .... ग्राम पंचायत .... पंचायत समिति .... जिला..............................

कार्य का नाम (यूनिक कोड).. मेट का नाम ....

मस्टररोल नंबर ....समूह संख्या प्रथम/द्वितीय मस्टररोल पखवाडे की अवधि दिनांक.............. से ....तक

कार्यकारी एजेन्सी ....

मिट्टी प्रकार/ कार्य विवरण .... लीड .... लिफ्ट ....

विवरण / दिन	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
दिनांक																
कार्यरत श्रमिकों की संख्या																
कार्य पर उपस्थिति समय																
प्रति श्रमिक देय अनुमानित राशि(मस्टररोल के पृष्ठ भाग पर मुद्रित दैनिक कार्य की माप के बिन्दु संख्या 7 के आधार पर)																
समूह प्रतिनिधि (प्रत्येक दिन अलग सदस्य) का नाम																
कार्य से जाने का समय																
समूह प्रतिनिधि के हस्ताक्षर																
हस्ताक्षर मेट																
निरीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर																

हस्ताक्षर मेट

नोट :–

1. यह प्रपत्र श्रमिक समूह को उनके द्वारा प्रतिदिन अर्जित की जाने वाली मजदूरी दर का अनुमान प्रदान करने में सहायता करता है। श्रमिका समूह द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य की मात्रा की जानकारी मस्टररोल के पृष्ठ भाग पर मुद्रित दैनिक कार्य की माप के कॉलम से मेट द्वारा दिया जाना बाध्यकारी होगा।
2. इस प्रपत्र पर समूह द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार अर्जित मजदूरी का अंकन मेट द्वारा करवा कर उसके हस्ताक्षर भी लेवे ताकि समूह द्वारा अर्जित की जा रही मजदूरी का प्रतिदिन अनुमान हो जावे। यद्यपि मेट के द्वारा इन्द्राज मजदूरी दर एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायक के द्वारा गणना की गयी मजदूरी दर में अंतर हो सकता है, तदापि मजदूरी का भुगतान कनिष्ठ तकनिकी सहायक की माप के अनुसार ही देय है।

Scanned by CamScanner

बुक नम्बर...........पृष्ठ संख्या...........

Form GM (Group Measurement)

कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति .... जिला ....
कार्यस्थल पर समूहवार माप संबंधी कनि. तक. सहायक/अभियन्ता का मॉनीटरिंग प्रपत्र
नाम अभियन्ता .... माह .... पखवाडा प्रथम/द्वितीय

क. सं.	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम मय यूनिक कोड	कुल कार्यरत समूहों की संख्या	कुल कार्यरत समूहों में से उन समूहों की संख्या जिनमें प्रति श्रमिक प्रति दिवस अर्जित मजदूरी समान है	कार्यरत समूहों में से प्रति श्रमिक प्रति दिवस अर्जित मजदूरी	
					अधिकतम	न्यूनतम
1	2	3	4	5	6	7

हस्ताक्षर कनिष्ठ तक.सहायक/अभियन्ता

प्रतिलिपि कार्यक्रम अधिकारी .... को सूचनार्थ

हस्ताक्षर कनिष्ठ तक.सहायक/अभियन्ता

Scanned by CamScanner

Form- MC(Measurement Certificate)

कार्यालय विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति

क्रमांक समूहवार माप/2010-11

दिनांक

श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला

महोदय,

पंचायत समिति के संबन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि गत दिनांक 15/30 तक श्रमिकों को भुगतान किये गये निम्नाकित कार्यो के अतिरिक्त समस्त नरेगा कार्यो पर समूहवार माप व भुगतान सुनिश्चित किया गया है -

क. स.	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम	कार्यकारी संस्था	दी गयी श्रमिक दर (रू)	एक समान श्रमिक दर का कारण

विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी

पंचायत समिति

Scanned by CamScanner